



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16092020-221737
CG-MH-E-16092020-221737

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2020/भाद्र 24, 1942

No. 362]

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2020/BHADRA 24, 1942

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

परिशिष्ट

मुंबई, 26 अगस्त, 2020

संदर्भ: यूटी/एचडी/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट/2020-21

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में

प्रशासक

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)

मुंबई

वित्तीय विवरणियों पर रिपोर्ट

विचार:

हमने भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) के संलग्न वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है जिसमें यथा 31 मार्च, 2020 की तुलन पत्र एवं उक्त समाप्त वर्ष की राजस्व लेखा एवं वित्तीय विवरणियों की टिप्पणियां शामिल हैं तथा साथ ही इसमें महत्वपूर्ण लेखा पॉलिसियों के सारांश एवं अन्य विवरणात्मक सूचनाओं को भी शामिल किया गया है।

हमारी राय में और हमें दी गई सर्वोत्तम सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुरूप, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, यथा 31 मार्च, 2020, एसयूयूटीआई की गतिविधियों की दशा एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु उनके राजस्व लेखा की सूचना, भारतीय यूनिट ट्रस्ट(उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम 2002 (जिसे आगे से अधिनियम कहा जाएगा) की आवश्यकताओं और आवश्यक प्रारूप के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं तथा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों की पुष्टि करते हुए सही एवं उचित चित्र दर्शाती है:

विचार का आधार

हमने, भारत की सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखापरीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा आयोजित की है। उक्त मानकों के तहत हमारे उत्तरदायित्वों का और अधिक विवरण, हमारे रिपोर्ट की वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्वों के अधीन स्पष्टीकृत है। भारत के सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी आचार संहिता और साथ ही अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के तहत, वित्तीय विवरणियों की हमारी लेखापरीक्षा हेतु प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, हम एसयूयूटीआई से स्वतंत्र हैं तथा हमने उक्त आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा किया है। हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, पर्याप्त हैं तथा हमारी राय को आधार प्रदान करने हेतु उपयुक्त है।

वित्तीय विवरणियों हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

प्रबंधन, उक्त वित्तीय विवरणियां जो भारत में, सामान्यतया स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार हैं, जिसमें भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी लेखा मानकों, जो गैर कापोरिट इकाइयों पर लागू होते हैं, भी शामिल हैं, के अनुसार एसयूयूटीआई की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन का सही एवं उचित चित्र दर्शाते हैं।

उक्त दायित्व में, एसयूयूटीआई की आस्तियों की सुरक्षा एवं छलकपट तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने तथा पता लगाने हेतु 'भारतीय यूनिट ट्रस्ट'(उपक्रम का अंतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002(जिसे आगे से 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के प्रावधानों के अनुसार लेखा के पर्याप्त अभिलेखों का रखरखाव, लेखा की उपयुक्त पॉलिसियों का चयन एवं प्रयोग, यथोचित एवं विवेकशील निर्णय तथा आकलन, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रचना, कार्यान्वयन एवं रखरखाव जो लेखा अभिलेखों की शुद्धता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं, भी शामिल हैं, जो वित्तीय विवरणियों की तैयारी एवं प्रस्तुति के प्रासंगिक हैं तथा सही एवं साफ चित्र दर्शाते हैं और विषय की गलत बयानी से, चाहे छलकपट से अथवा त्रुटि से, मुक्त हैं।

उपरोक्त अधिनियम के निर्देशन के तहत, प्रबंधन, अविरत आधार पर वित्तीय विवरणियां तैयार करने हेतु उत्तरदायी होता है।

प्रबंधन, एसयूयूटीआई की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की जांच करने हेतु भी उत्तरदायी होता है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि, चाहे छलकपट से अथवा त्रुटि से क्या क्या हमारी वित्तीय विवरणियों संपूर्ण रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारे विचार को शामिल किया गया है। उचित आश्वासन, उच्च स्तर का आश्वासन है, परंतु यह गारंटी नहीं देता है कि एस ए के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षा द्वारा हमेशा भौतिक गलतबयानी के विद्यमान होने पर उसकी पहचान की जाएगी। गलतबयानी, छलकपट अथवा त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है, तथा उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, उक्त गलतबयानी से, वैयक्तिक अथवा औसतन रूप से, प्रयोगकर्ताओं द्वारा उक्त वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए निर्णयों को उपयुक्त रूप से प्रभावित करने की अपेक्षा की जाए।

अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

अधिनियम के तहत आवश्यकता के अनुरूप हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- क. हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे;

- ख. हमारे विचार में, कानूनी आवश्यकतानुसार, बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है कि अब तक लेखा संबंधी उचित बहियां संयोजित कर रखी गई हैं।
- ग. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।
- घ. हमारे विचार में, उपरोक्त वित्तीय विवरणियां, भारत में सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी गैर कापरेट इकाइयों हेतु लागू लेखा मानकों का अनुसरण करती हैं;

कृते जी.डी. आपटे & कंपनी

सनदी लेखाकार

संस्था पंजीकरण संख्या. 100515W

चेतन आर. सप्रे

भागीदार

सदस्यता संख्या: 116952

यूडीआईएन संख्या: 20116952AAAAEE8295

मुंबई

15 मई, 2020

वसंता गोविंदन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./216/2020-21]

ADMINISTRATOR OF THE SPECIFIED UNDERTAKING OF THE UNIT TRUST OF INDIA

ADDENDUM

Mumbai, the 26th August, 2020

Reference : UT/HD/DOFA/SUUTI-Gazette/2020-21

Independent Auditor's Report

To

The Administrator,

Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)

Mumbai

Report on the Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying financial statements of **Specified Undertaking of Unit Trust of India (SUUTI)**, which comprise the balance sheet as at 31 March 2020, the revenue account for the year then ended and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (hereinafter referred to as 'the Act') in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the SUUTI as at March 31, 2020 and their revenue account for the year ended on that date.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by Institute of Chartered Accountants of India. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the financial Statements section of our report. We are independent of the SUUTI in accordance with the code of ethics issued by the institute of chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Act and rules there under, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of

ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Management is responsible for the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance of the SUUTI in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards applicable to Non Corporate entities issued by Institute of Chartered Accountant of India. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of 'The Unit Trust of India (Transfer of Undertaking and Repeal) Act, 2002 (hereinafter referred to as 'the Act') for safeguarding the assets of the SUUTI and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

The management is responsible in preparing the financial statements on a going concern basis under the direction of aforesaid Act.

The managements are also responsible for overseeing the SUUTI'S financial reporting process.

Auditor's Responsibility

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's, report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are consider material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required under the Act, We report that:

- (a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;
- (b) in our opinion proper books of account as required by the Act, have been kept so far as it appears from our examination of those books;
- (c) the balance sheet, the revenue account dealt with by this Report are in agreement with the books of account;
- (d) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards applicable to non corporate entities issued by the Institute of Chartered Accountants of India;

For G.D. Apte & Co.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 100 515W

Chetan R. Sapre

Partner

Membership No.: 116952

UDIN No.: 20116952AAAAEE8295

Mumbai,

15th May, 2020

VASANTHA GOVINDAN, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./216/2020-21